प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 13.04.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** वारण्टी गणेश पुत्र बैजनाथ गुप्ता निवासी उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 6000 पर थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत नगहरा से कालर द्वारा बस और बाईक की आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1. आशुतोष पुत्र शालीक राम निवासी ग्राम बभनौली थाना धनघटा जनपद-संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया व घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सी0एच0सी0मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 संतोष यादव, हो0चा0 रामवीर चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 271 वाहनों से 3,91,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 271 वाहनों से 3,91,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 13.04.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में ऑपरेशन दहन के के अन्तर्गत धर्मसिंहवा थाने द्वारा 1.25 किग्रा चरस को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में मादक पदार्थों के निस्तारण एवं विनष्टीकरण हेतु चलाये जा रहे आपरेशन दहन के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा ***श्री अमित कुशवाहा*** के नेतृत्व में मालखाना धर्मसिंहवा थाना के मालखाना में लम्बे समय से जमा 1.25 किग्रा चरस को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में MPCC (मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी) औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में इंसीनरेटर के माध्यम से नियमानुसार वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराते हुए नष्ट कराया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में ऑपरेशन दहन के अन्तर्गत महुली थाने द्वारा कुल 09 अभियोगो से सम्बन्धित 13 किलो 450 ग्राम गाँजा को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में मादक पदार्थों के निस्तारण एवं विनष्टीकरण हेतु चलाये जा रहे आपरेशन दहन के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में महुली थाना के मालखाना में लम्बे समय से कुल 09 अभियोग से सम्बन्धित जमा 13 किलो 450 ग्राम गाँजा को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में MPCC (मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी) औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में इंसीनरेटर के माध्यम से नियमानुसार वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराते हुए नष्ट कराया गया।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 12,000 की धनराशि कराई गई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “क्रैक साइबर क्राइम अभियान” के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु साइबर क्राइम हेल्प डेस्क थाना महुली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 12,000 की धनराशि उसके बैंक खाते में वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

वादी मो0 अफजद पुत्र मो0 असरद निवासी भगौटीपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर का मोबाइल फोन गुम हो जाने के उपरांत उनके बैंक खाते से 12,000 की धनराशि निकल गई थी। इस संबंध में वादी द्वारा साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत प्राप्त होते ही साइबर क्राइम हेल्प डेस्क थाना महुली पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 13.04.2026 को पीड़ित के खाते में 12,000 की धनराशि वापस कराई गई।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण:- थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय, उ0नि0 श्री अनुज यादव, का0 अंकित पटेल, का0 सोनू यादव,म0का0 कमलेश कुमारी।

जनपद पुलिस की अपील :- जनपद पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर विश्वास न करें तथा अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।